अध्याय 8 अनुश्रवण

8.1 जिला विद्युत समिति

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य को जिला विद्युत समिति (डीईसी[138]) अधिसूचित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2015)। झारखण्ड में, जेबीवीएनएल के मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता को सदस्य सचिव के तौर पर शामिल किया जाना था। डीडीयुजीजेवाई का डीपीआर, डीईसी से परामर्श लेकर बनाया जाना था। डीईसी को भी विद्युत वितरण की गुणवत्ता एवं उपभोक्ता संतुष्टि की समीक्षा करनी थी तथा ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण को भी प्रोत्साहित करना था। समिति की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडीयुजीजेवाई का डीपीआर मार्च 2015 में डीईसी के अधिसूचना (मई 2015) के पहले ही बन चुका था। आगे, झारखण्ड सरकार/एसएलएससी ने 19 जिलों के डीपीआर पर डीईसी की अनुशंसा के बगैर ही ₹ 5,813.87 करोड़ राशि के सभी 24 जिलों के डीपीआर को आरईसी को अग्रेषित करने की अनुशंसा की (मई 2015)। आरईसी ने डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत सभी 24 जिलों के डीपीआर ₹ 3,722.12 करोड़ के लिए अगस्त 2015 में स्वीकृत किया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि झारखण्ड सरकार ने डीडीयुजीजेवाई के अनुश्रवण के लिए डीईसी का गठन किया था (मई 2015)। हालांकि, 2015-20 के दौरान सात नमूना-जाँचित जिलों में से चार[139] में समिति की बैठक नहीं हुई, वहीं धनबाद (मई 2015), देवघर (जून 2015) और गिरिडीह (जून 2015) में मात्र एक बार बैठक हुई। यद्यपि, डीडीयुजीजेवाई के डीपीआर पर चर्चा के लिए बैठकें हुई थीं तथापि कोई भी कार्यवृत्त अभिलेखों में नहीं मिला।

अतः डीईसी, जो जनप्रतिनिधि समेत सभी विभागों का प्रतिनिधित्व करता है, ने डीडीयुजीजेवाई के कार्यान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया पारिणामस्वरूप निम्नलिखित कमियों के साथ योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ:

- पीएसएस एवं अन्य ढाँचा के लिए आरओडब्लू सहित स्थल एवं रास्ता संबंधित समस्या;
- एजीजेवाई के अंतर्गत, ग्रामों एवं लक्षित एपीएल लाभुकों की सूची उपलब्ध नहीं कराना;

---

[138] समिति के अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम सांसद, सह-अध्यक्ष के रूप में अन्य सांसद, संयोजक के रूप में जिला कलेक्टर (डीसी) और सदस्य के रूप में विधानसभा के सदस्य (विधायक), जिला पंचायत अध्यक्ष, ऊर्जा, कोयला क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसयू) और गैर-अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठतम प्रतिनिधि, यदि संबंधित जिले में स्थित हैं तो।

[139] पलामू, राँची, दुमका और पाकुड़

- कृषि संबंध हेतु योजना, टीएमकेपीवाई के कार्य का रुक जाना; और
- सौभाग्या के अंतर्गत लिए गए वंचित परिवार को विद्युत-संबंध देने में विलंब।

इस प्रकार, राज्य में डीडीयुजीजेवाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डीपीआर की तैयारी एवं परामर्श के लिए गठित डीईसी का उद्देश्य विफल रहा।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई /अक्तूबर 2021) कि माननीय सांसद की अध्यक्षता में डीईसी/दिशा की बैठक सभी जिलों में हुई। डीईसी/दिशा की बैठक के अलावा, माननीय सांसद, विधायक एवं डीसी ने भी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की समय-समय पर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश/ दिशानिर्देश जारी किए, जिसका अनुपालन किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रबंधन/विभाग ने डीईसी बैठक के बदले दिशा की बैठकों का ब्योरा दिया। डीईसी में ऊर्जा एवं कोयला क्षेत्र के विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होता है जबकि दिशा में नहीं।

8.2 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए समर्पित दल

डीडीयुजीजेवाई की निर्देशिका के अनुसार, जेबीवीएनएल को जिला और यूटिलिटी/राज्य स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मानव-बल और कार्यालय, संभारिकी आदि जैसी आवश्यक अवसंरचना के साथ एक समर्पित दल बनाना था, ताकि सुचारू कार्यान्वयन, अनुश्रवण और जनता एवं जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण परियोजना क्षेत्र में किया जा सके। डीपीआर में समर्पित दल की चर्चा करनी थी। मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को यूटिलिटी/राज्य स्तर पर समर्पित टीम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना था। नोडल अधिकारी निर्धारित निर्देशिका के अनुसार योजना के कार्यान्वयन, परियोजनाओं से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने, राज्य सरकार से प्रासंगिक आदेश/मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था करने, जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और परियोजना क्षेत्र में जनता और जन-प्रतिनिधियों की शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार था।

संबंधित विद्युत आपूर्ति अंचल (ईएससी) के विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना) को प्रभारी अभियंता के रूप में सहायक विद्युत अभियंता (परियोजना/ आपूर्ति) और कनीय विद्युत अभियंता (परियोजना/आपूर्ति) की सहायता से कार्य करना था।

छ: जिलों के नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि जेबीवीएनएल ने समर्पित विद्युत कार्यपालक अभियंता (परियोजना) की तैनाती नहीं की। सभी जिलों में, ईईई (तकनीकी, वाणिज्यिक और राजस्व) का पद धारण करने वाले विद्युत कार्यपालक अभियंता (ईईई) को संबंधित जिले की परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यह भी देखा गया कि ईएससी कार्यालय को नोडल कार्यालय होने के कारण योजनाओं के निष्पादन से संबंधित मूल अभिलेखों का रखरखाव करना था,

हालांकि, ईएससी स्तर पर ऐसा कोई अभिलेख संधारित नहीं था और वे पूरी तरह से संबंधित टीकेसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर निर्भर थे। इस प्रकार, समर्पित ईईई (परियोजना) के तैनाती न होने के कारण बीओक्यू को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ, टीकेसी को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में विलंब हुआ और पीएसएस के निर्माण में विलंब हुआ।

प्रबंधन/विभाग ने स्वीकार किया (मई/अक्टूबर 2021) कि ईईई (तकनीकी, वाणिज्यिक और राजस्व) को जेबीवीएनएल में ईईई की कमी के कारण संबंधित जिलों के ईईई (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और कहा कि परियोजना के निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा साथ ही परियोजना और संबंधित जिले के पीएमसी/पीएमए कार्य के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समर्पित ईईई (परियोजना) की तैनाती के कारण बीओक्यू को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ, टीकेसी को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब हुआ परिणामस्वरूप वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने में विलंब हुआ और पीएसएस के निर्माण में विलंब हुआ। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को सभी आवश्यक आंकड़ा ईएससी कार्यालयों द्वारा टीकेसी से लेकर ही उपलब्ध कराए गए थे।

सारांश में, *बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, उपभोक्ता संतुष्टि की समीक्षा करने और ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला विद्युत समितियों (डीईसी) को तीन महीने में एक बार मिलना था। नमूना-जांचित सात जिलों में डीईसी की अप्रैल 2015 से मार्च 2020 के दौरान केवल एक बार बैठक हुई, जिसका कोई कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, डीईसी द्वारा पर्यवेक्षी निरीक्षण, जैसा कि योजना निर्देशिका में निर्धारित था, नहीं पाया गया। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार/ एसएलएससी ने 19 जिलों के डीपीआर पर डीईसी की अनुशंसा प्राप्त किए बिना ही सभी 24 जिलों के डीपीआर को आरईसी को अग्रेषित करने की अनुशंसा की।*